# बिहार विधान परिषद् सचिवालय

## आवश्यक सूचना

### विज्ञापन सं.- 02/2025

निजी सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत परिषद् सचिवालय में स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में समूह-ख अराजपत्रित श्रेणी वेतन स्तर-7 में निजी सहायक के रिक्त-07 (सात) पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं.-02/2025 दिनांक 26.11.2025 के अधीन अंतिम परीक्षाफल में सफल घोषित किए गए 07 (सात) अभ्यर्थियों यथा (1) स्पृहा सिंह 200035, (2) अमन कुमार 200021, (3) नमन राज 200019, (4) अंजली कुमारी आनंद 200044, (5) सुमित राज 200038, (6) गुडिया कुमारी 200057 तथा (7) शिमरण भारती 200074 के चयन प्रक्रिया में स्वच्छता एवं निष्पक्षता की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए इनके आशुलिपि दक्षता (शॉर्टहैन्ड) की व्यावहारिक दक्षता की जांच विषय-विशेषज्ञों के त्रिसदस्यीय पैनल द्वारा सीसीटीवी (हाई रेशोल्यूशन कैमरा) की निगरानी एवं दण्डाधिकारी की उपस्थिति में **दिनांक 04.11.2026 (बुधवार) को 11:30 बजे पूर्वा. से 01:00 बजे अप. तक परिषद् नवविस्तारित भवन के प्रथम तल पर स्थित कमरा सं.-एफ/25 में** किया जाएगा।

2. बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-02/2025 की कंडिका-6(1) परीक्षा की पद्धति की कंडिका-(क) की उप कंडिका-(1) में विहित प्रावधान के अनुसार आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट में 100 (सौ) शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 (पांच सौ) शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 (पचास) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा। इस विज्ञापन में निहित शर्त के अनुसार परीक्षा ली जायेगी।
3. अभ्यर्थियों का प्रवेश 11:00 बजे पूर्वा. तक होगा।
4. वर्णित सभी अभ्यर्थियों के लिए इस जांच में शामिल होना अनिवार्य है।
5. जो अभ्यर्थी इस जांच में शामिल नहीं होंगे उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी अपने साथ परिषद् सचिवालय द्वारा निर्गत सूचना पत्र एवं उसकी छाया प्रति, आधर कार्ड एवं उसकी छायाप्रति, पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र को लेकर आना है ।
7. पूर्ण सुरक्षा जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी।
8. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् सभी अभ्यर्थी कार्यालय परिसर से बाहर चले जायेंगे।
9. संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आवेदन में अंकित मोबाईल नं. एवं ई-मेल पर प्रेषित की जाएगी।
10. जांच केन्द्र में घड़ियां, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तथा मोबाईल फोन, ब्लूटुथ डिवाइस, हेडफोन, पेन- बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।

11. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

12. यदि किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश जांचविलम्ब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को जांच पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

13. जांच के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थी संबंधित पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र पर शांति भंग करते हुए पाए जाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

14. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि एवं समय बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

30/10/26

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार विधान परिषद्
पटना।